

आय. सं. 4971
दिनांक 05/10/18

अपरी सं. 673 / 2018 (सू.प्र.सं.)
दिनांक 05/10/18

शुद्ध संख्या-432 / 2018-19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्यय अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या-1256/आई0बी0/108बी-222/सू.ले.प्र.0/2018-19,

लखनऊ: दिनांक: सितम्बर, 24, 2018

कार्यालय ज्ञाप

अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई एवं लेखाशीर्षक 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-144/2018/1669/18-27-सिं-4-58(डब्ल्यू)/08, दिनांक 27-06-2018 द्वारा टी0एण्ड पी0 मद (नवीन सम्पूर्ति/भरम्भत/गाड़ी भाड़ा) में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता के सम्मुख अंकित धनराशियों को वित्तीय धर्म 2018-19 में व्यय करने हेतु एतद्वारा प्रविष्टि की जाती है :-

(ऑकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद/बजट व्यवस्था 2018-19	मुख्य अभियन्ता का नाम	खण्ड का नाम	प्रविष्टि धनराशि
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई 80-सागान्य 062-मशीनरी तथा उपकरण 07-नहर/शाखा/राजवाहे/अल्पिका(राज्य वेत्त पोषित) 0703-नवीन सम्पूर्ति 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	बेतवा, झांसी।	सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, झांसी।	1.00
	शाखा सहायक लखनऊ।	सिंचाई खण्ड, सीतापुर।	1.50
		बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी।	1.00
		बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।	2.00
	परि0-बेतवा, झांसी।	सिंचाई निर्माण गण्डल, झांसी।	1.00
	रामगंगा, कानपुर।	कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, कानपुर।	1.60
	सज्जा, लखनऊ।	इन्दौर कण्टोल खण्ड, लखनऊ।	2.00
	पूर्वीगंगा, गुरादाबाद।	बाढ़ खण्ड, बरेली।	3.00
		रामपुर नहर प्रखण्ड, रामपुर।	5.00
		योग (4700-0703-12) :-	18.00
0703-नवीन सम्पूर्ति 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संरंज	नलकूप, वाराणसी।	सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी।	6.00
	नलकूप-पट्टा फंजाबाद।	लिफ्ट सिंचाई खण्ड, फंजाबाद।	5.00
	राजवाहे, लखनऊ।	यूनिट-2, सुदामा प्रणाली संगठन, लखनऊ।	5.00
	शारदा, बरेली।	सिंचाई खण्ड-प्रथम, लखीमपुर-खीरी।	10.00
	रामगंगा, कानपुर।	सिंचाई खण्ड, कानौज।	1.00
	सरयू-2, गोंडा।	फतेहपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, फतेहपुर।	2.00
		सरयू नहर खण्ड-4, बस्ती।	2.00
	शारदा सहायक, लखनऊ।	सिंचाई खण्ड, लखनऊ।	5.00
		सिंचाई खण्ड शारदा नगर, लखीमपुर-खीरी।	2.00
		लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।	10.00
सज्जा, लखनऊ।	बैराज यांत्रिक अनुखण्ड खण्ड, कानपुर।	1.00	
	बैराज यांत्रिक अनुखण्ड खण्ड, वाराणसी।	2.00	
	यमुना, ओखला।	हैदवर्ग खण्ड आगरा नहर, ओखला।	5.00
		योग (4700-0703-26) :-	56.00
	रामगंगा, कानपुर।	फतेहपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, फतेहपुर।	1.00
शारदा सहायक, लखनऊ।	सिंचाई खण्ड, सीतापुर।	2.00	
	सिंचाई खण्ड, लखनऊ।	2.00	
	सिंचाई खण्ड शारदा नगर, लखीमपुर-खीरी।	2.00	
0704-भरम्भत 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण			

SEC(ISO) / SEC(ISO) / EG-2 / 10

28/09/18

3/10

1	2	3	4
		बाढ़ कार्य खण्ड, धारावाही।	1.00
		विवाह खण्ड, सुल्तानपुर।	1.00
		लखनऊ विवाह शारदा नगर, लखनऊ।	17.00
	यमुना, ओखला।	अपर खण्ड पूर्वी यमुना नगर, सहायपुर।	2.00
		ईस्टवर्क खण्ड आगरा नगर, ओखला।	5.00
		समानान्त बंधन शाखा खण्ड, रुड़की।	3.00
	शारदा, इरेली।	सिंचाई खण्ड-प्रथम, लखीमपुर-खीरी।	2.00
	सुप्रसारा, लखनऊ।	यूनिट-2, सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ।	8.00
	सरयू-2, गोपडा।	सरयू नहर खण्ड-4, बरती।	1.00
	नलकूप, वाराणसी।	लिफ्ट सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद।	10.00
		योग (4700-0704-12) :-	57.00
0704-नरगाव 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	अग्रिम नियोज, लखनऊ।	सर्वेक्षण एवं अनुसंधान खण्ड, लखनऊ।	2.00
	सोन, वाराणसी।	सिंचाई खण्ड-धुनार, मीरजापुर।	1.00
		कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर।	2.00
	सज्जा, लखनऊ।	बैराज यांत्रिक अनुसंधान खण्ड, वाराणसी।	2.00
		इन्वेंट्री कंट्रोल खण्ड, लखनऊ।	1.00
		बैराज यांत्रिक अनुसंधान खण्ड, कानपुर।	1.00
	नलकूप-पूर्व, फैजाबाद।	लिफ्ट सिंचाई खण्ड, फैजाबाद।	10.00
	नलकूप, वाराणसी।	लिफ्ट सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी।	5.00
		सोन यांत्रिक निर्माण खण्ड, वाराणसी।	30.00
	परिश-बेतवा, झांसी।	मौदहा बंध निर्माण खण्ड-1, महोबा।	1.00
		मौदहा बंध निर्माण खण्ड, हमीरपुर।	1.00
	गंगा, मेरठ।	मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर।	2.00
		योग (4700-0704-26) :-	58.00
0705-गाड़ी भाड़ा 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	रामगंगा, कानपुर।	बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर।	2.00
	सज्जा, लखनऊ।	कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर।	5.00
	सोन, वाराणसी।	सिंचाई खण्ड-धुनार, मीरजापुर।	1.00
	शारदा सहायक, लखनऊ।	सिंचाई खण्ड, सीतापुर।	1.00
		लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।	15.00
	सरयू परिश-1, फैजाबाद।	बाढ़ कार्य खण्ड, गोपडा।	5.00
		योग (4700-0705-12) :-	29.00
0705-गाड़ी भाड़ा 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	गण्डक, गोरखपुर।	सिंचाई खण्ड-प्रथम, बलिया।	2.00
	सज्जा, लखनऊ।	इन्वेंट्री कंट्रोल खण्ड, लखनऊ।	1.50
		बैराज यांत्रिक अनुसंधान खण्ड, कानपुर।	1.00
	शारदा, इरेली।	सिंचाई खण्ड-प्रथम, लखीमपुर-खीरी।	2.00
		हरदोई खण्ड शारदा नहर, हरदोई।	3.00
	रामगंगा, कानपुर।	सिंचाई खण्ड, कानपुर पैहात।	1.00
		फतेहपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, फतेहपुर।	2.00

1	2	3	4
	शारदा सहायक, लखनऊ।	बाढ़ कार्य खण्ड- बाराबंकी।	1.00
		सिंचाई खण्ड, तुलसीपुर।	1.00
		सिंचाई खण्ड, लखनऊ।	3.00
		सिंचाई खण्ड शारदा नहर, लखनऊ-खीरी।	3.00
	सरयू-2, गोण्डा।	सरयू नहर खण्ड-3, मधोबा।	3.00
	सुप्रसंग, लखनऊ।	यूनिट-2, सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ।	4.00
	यमुना, ओखला।	अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर।	2.00
		हैडवर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला।	8.00
	फरि-बेतवा, झांसी।	मौदहा बांध निर्माण खण्ड-1, महोबा।	2.00
		मौदहा बांध निर्माण खण्ड, हमीरपुर।	2.00
	गंगा, मेरठ।	मुजाफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर, मुजाफ्फरनगर।	4.00
		योग (4700-0705-26) :-	45.50
		योग (4700) :-	263.50
अनुदान संख्या-84, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) लेखाशीर्षक-4701-मध्यम सिंचाई	अनुप एवं मूल्यों, लखनऊ।	नियंत्रण एवं प्रतिखण्ड-2, लखनऊ।	2.00
80-सामान्य	सोन, बाराबंकी।	देवकली पम्प नहर प्रखण्ड-द्वितीय, गाजीपुर।	4.00
062-मशीनरी तथा उपकरण		बाघला नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद।	2.00
03-नवीन सम्पत्ति	शारदा सहायक, लखनऊ।	बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर-बाराबंकी।	1.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं सपकरण		योग (4701-03-12) :-	9.00
03-नवीन सम्पत्ति	शारदा सहायक, लखनऊ।	रायबरेली खण्ड(दक्षिण) शारदा नहर, रायबरेली।	1.00
26-मशीनें और सज्जा/सपकरण और संयंत्र		शारदा नहर खण्ड-28, हैदरगढ़।	2.00
		लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।	20.00
	सोन, बाराबंकी।	सिंचाई खण्ड-धुनार, भीरजापुर।	2.00
		देवकली पम्प नहर प्रखण्ड-प्रथम, गाजीपुर।	2.00
		देवकली पम्प नहर प्रखण्ड-द्वितीय, गाजीपुर।	1.00
		बाघला नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद।	1.00
	मण्डक, गोरखपुर।	बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया।	1.00
		बाढ़ खण्ड, बलिया।	2.00
		इन्वेंट्री कंट्रोल खण्ड, लखनऊ।	1.00
	सज्जा, लखनऊ।	कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर।	12.00
		द्वैराज यांत्रिक अनुसंधान खण्ड, कानपुर।	1.00
		द्वैराज यांत्रिक अनुसंधान खण्ड, बाराबंकी।	1.00
	यमुना, ओखला।	अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर।	5.00
		अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा।	2.00
		हैडवर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला।	5.00
		समानान्तर देवबन्द शाखा खण्ड, रुढ़की।	2.00
	पूर्वीगंगा, मुरादाबाद।	सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद।	2.00
	फरि-बेतवा, झांसी।	सिंचाई निर्माण खण्ड-द्वितीय, ललितपुर।	2.00
		मौदहा बांध निर्माण खण्ड-1, महोबा।	1.00
		मौदहा बांध निर्माण खण्ड, हमीरपुर।	2.00
	सरयू-2, गोण्डा।	राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर बलरामपुर।	2.00
		राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, तुलसीपुर बलरामपुर।	2.00
	सरयू-1, फैजाबाद।	बाढ़ कार्य खण्ड, गोण्डा।	4.00

1	2	3	4
		मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर।	2.00
	गंगा, मेरठ।	अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़।	2.00
		अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, रुड़की।	10.00
	मध्यगंगा नहर पश्चि, अलीगढ़।	मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-7, बिजनौर।	3.00
		योग (4701-03-26) :-	93.00
04-परम्पत		देवकली पम्प नहर प्रखण्ड-द्वितीय, गाजीपुर।	1.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	सोन, दाराणसी।	बाघला नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद।	1.00
	अनुसूएवं मूल्यांकन, लखनऊ।	निचोला एवं पश्चिमखण्ड-2 लखनऊ।	1.00
	शारदा सहायक, लखनऊ।	बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी।	1.00
		योग (4701-04-12) :-	4.00
04-परम्पत	शारदा सहायक, लखनऊ।	शारदा नहर खण्ड-28, हैदरगढ़।	2.00
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।	2.00
	यमुना, ओखला।	अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा।	1.00
		हैदरगढ़ खण्ड आगरा नहर, ओखला।	2.00
	सज्जा, लखनऊ।	बैराज यांत्रिक अनुसंधान खण्ड, दाराणसी।	1.00
	मध्यगंगा नहर पश्चि, अलीगढ़।	मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-7, बिजनौर।	3.00
		योग (4701-04-26) :-	11.00
05-गाड़ी भाडा	शारदा सहायक, लखनऊ।	लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।	3.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	सोन, दाराणसी।	देवकली पम्प नहर प्रखण्ड-द्वितीय, गाजीपुर।	1.00
		बाघला नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद।	1.00
	मध्यगंगा नहर पश्चि, अलीगढ़।	मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-7, बिजनौर।	1.00
	यमुना, ओखला।	हैदरगढ़ खण्ड आगरा नहर, ओखला।	1.00
		योग (4701-05-12) :-	7.00
05-गाड़ी भाडा	शारदा सहायक, लखनऊ।	सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ।	2.00
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		हाथबरेली खण्ड(दक्षिण) शारदा नहर हाथबरेली।	1.00
		शारदा नहर खण्ड-28, हैदरगढ़।	2.00
	यमुना, ओखला।	अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा।	3.00
		समानान्तर देवबन्द शाखा खण्ड, रुड़की।	2.00
	गंगा, मेरठ।	ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, मेरठ।	2.00
	सज्जा, लखनऊ।	बैराज यांत्रिक अनुसंधान खण्ड, कानपुर।	1.00
		योग (4701-05-26) :-	13.00
		योग(4701) :-	137.00
		महयोग(4700+4701) :-	400.50

(रु० चार करोड पचास हजार मात्र)

- उपरोक्त धनराशियों का आवंटन इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी कार्यालय ड्राफ्टों एवं शासनादेश संख्या-144/2018/1669/18-27-सि-4-58(डब्ल्यू)/08, दिनांक 27-06-2018 में अंकित नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।
- उपरोक्त धनराशि व्यय करने हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के साथ व्यय करने हेतु अधिकृत की जाती है:-
(क) उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रविधानों तथा समय-समय पर दत्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश एवं प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा परियोजना के कार्यों पर होने वाला व्यय सक्षम स्तर से स्वीकृति-प्राप्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।
- (ख) प्रश्नगत धनराशि का आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार परियोजना के स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए मुख्य अमेयन्ता एवं सम्बन्धित अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। किसी भी दशा में

परियोजना के कराये जाने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यदि कार्य के लिए दोहरी स्वीकृति का मामला प्रकाश में आता है तो उसे अविलम्ब विभाग/शासन के संज्ञान में लाकर उपवासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त कर लिए जायेंगे।


- (ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि परियोजना पर होने वाला व्यय परियोजना की स्वीकृत लागत की सीमा तक रखा जाये।
- (घ) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर वित्त आये-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-28.03.2013 के प्रस्ताव-2(4) (1) की व्यवस्था के अनुसार आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुगणित कार्य पर व्यय की लागतों तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/सीएल0ए0/दिनांकित खाते में न रखी जाये।
- (ङ) परियोजनाओं से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से अपेक्षा की जाती है कि परियोजना के कराये गये कार्यों के भुगतान की मौलिक/वित्तीय प्रगति की सूचना प्रत्येक माह निर्धारित बी0एम्ब0-8 पर व्यय की सूचना निर्धारित समय के अन्तर्गत प्रेषित करें।
- (च) उक्त धनराशि के व्यय किये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना के मुख्य अभियन्ता/नियंत्रक अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

कुशल कुलश्रेष्ठ
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या-1226/(1)/आई0बी0/तददिनांक:- 24/09/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- संयुक्त सचिव, सिंचाई अनुभाग-4/9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (दक्षिण/मध्य/नलकूप/परि0एवं शोध/पूर्व/विन्ध्याचल/पश्चिम/रुहेलखण्ड), सिंचाई जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झांसी/लखनऊ/गोरखपुर/इलाहाबाद/मेरठ/बरेली।
- 5- मुख्य अभियन्ता (बेतवा/शारदा सहायक/परि0-बेतवा/रामगंगा/सज्जा/पूर्वीगंगा/सू0प्र0सं0/नलकूप-वाराणसी/नलकूप-पूर्व/शारदा/सरसू-2/शमुना/अग्रिम नियोजन/सोन/गंगा/गण्डक/अनु0एवं मूल्यांकन/मध्यगंगा नहर/परि0) सिंचाई जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी/लखनऊ/कानपुर/पूर्वीगंगा/वाराणसी/बरेली/गोण्डा/फैजाबाद/ओखला/मेरठ/गोरखपुर/अलीगढ़।
- 6- मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन/अग्रिम नियोजन/अनु0एवं मूल्यांकन), सिंचाई जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
- 8- अधिशासी अभियन्ता(बजट), का0प्रमुख अभि0, सिंचाई जल संसाधन विभाग, लखनऊ को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
- 9- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 10- कट फाईल हेतु।


(हेमन्त कुमार गुप्ता) 20/9/19
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

B